



Neutral Citation No. - 2026:AHC:48212

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - ए संख्या - 3306 वर्ष 2026

शैलेश कुमार

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य तथा 4 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता	: पंकज बर्मन
प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता	: सी.एस.सी., महेन्द्र नारायण सिंह

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री पंकज बर्मन, राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मनीष कुमार तथा आयोग की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अविजीत सक्सेना को सुना गया।
2. याचिकाकर्ता का कथन है कि उसे सिंचाई विभाग (यांत्रिक), नलकूप खण्ड, गाजियाबाद में कनिष्ठ अभियंता के पद पर नियुक्त किया गया था। याचिकाकर्ता का अगला पद सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति का है। याचिकाकर्ता के अनुसार उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग सेवा नियमावली, 2007, जो दिनांक 16.11.2007 को अधिसूचित हुई थी, के अनुसार नियम 5 सहपठित नियम 16 के अंतर्गत सात वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर पदोन्नति का प्रावधान है, जिसके अनुसार उसे सहायक अभियंता के पद पर पदोन्नति प्रदान किया जाना चाहिए था। यद्यपि भर्ती वर्ष 2019-20 के लिए विभागीय पदोन्नति समिति का आयोजन कर 44 अभ्यर्थियों को पदोन्नति प्रदान की गई, तथापि याचिकाकर्ता का नाम उसमें सम्मिलित नहीं किया गया। इसके उपरान्त याचिकाकर्ता द्वारा आपत्ति एवं विभिन्न अभ्यावेदन प्रस्तुत किए गए, जिसके अनुसरण में दिनांक 22.05.2023 को याचिकाकर्ता को सहायक अभियंता (यांत्रिक) के पद पर भर्ती वर्ष 2020-21 हेतु पदोन्नति प्रदान की गई।

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



3. याचिकाकर्ता की मुख्य आपत्ति यह है कि उसे भर्ती वर्ष 2019-20 के स्थान पर 2020-21 से पदोन्नति प्रदान की गई है, जिसके कारण उसकी पदोन्नति एवं वरिष्ठता प्रभावित हुई है तथा उसे उसके विधिसम्मत अधिकारों से वंचित किया गया है।

4. वर्तमान याचिका में प्रार्थना की गई है कि याचिकाकर्ता को भर्ती वर्ष 2019-20 के लिए पदोन्नत माना जाए, न कि वर्ष 2020-21 के लिए, तथा उसे वेतन, भत्ते एवं सभी परिणामी लाभ, जिसमें वरिष्ठता भी सम्मिलित है, उस तिथि से प्रदान किए जाएं जिस तिथि से याचिकाकर्ता वास्तव में पदोन्नति हेतु विधिसम्मत रूप से हकदार था।

5. विद्वान स्थायी अधिवक्ता तथा आयोग की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि राज्य सरकार का एक संचार दिनांक 06.01.2021 को मुख्य अभियंता को प्रेषित किया गया है, तथापि प्रथम दृष्टया इस विषय में सक्षम निर्णय प्रमुख सचिव, सिंचाई एवं जल संसाधन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा लिया जाना अपेक्षित है।

6. पक्षकारों की बहस को ध्यान में रखते हुए तथा अभिलेखों के अवलोकन के उपरांत, इस न्यायालय की राय है कि मामले का प्रथम दृष्टया परीक्षण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जाना आवश्यक है।

7. तदनुसार, वर्तमान याचिका का **निस्तारण** इस निर्देश के साथ किया जाता है कि याचिकाकर्ता दिनांक 20.03.2026 तक प्रत्यर्थी संख्या 1 के समक्ष एक समग्र अभ्यावेदन प्रस्तुत करे, जिसके साथ याचिका की स्वप्रमाणित प्रति तथा आदेश की प्रमाणित प्रति संलग्न हो। उक्त अभ्यावेदन प्राप्त होने पर प्रत्यर्थी संख्या 1 याचिकाकर्ता के दावे पर, विशेष रूप से सहायक अभियंता (यांत्रिक) के पद पर भर्ती वर्ष 2019-20 के स्थान पर वर्ष 2020-21 से पदोन्नति के लाभ प्रदान किए जाने संबंधी दावे पर, विधि के अनुसार विचार करते हुए, दो माह की अवधि के भीतर निर्णय पारित करेगा, तथा इस तथ्य को भी ध्यान में रखेगा कि याचिकाकर्ता का यह कथन है कि वह सभी प्रकार से अर्ह एवं उपयुक्त है।

दिनांक : 10 मार्च, 2026

एन.एस. राठौर

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।